



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 24.09.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस, एसओजी व सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 224/24 धारा 103(1)/61 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही से आलाकत्ल एक चाकू व बैग बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22-08-2024 को वादी श्री विनोद कुमार पुत्र चुन्नी निवासी ग्राम मौहम्मदपुर आजमपुर थाना बाबूगढ जनपद हापुड ने लिखित तहरीर दी कि दिम्पि निवासी स्याना द्वारा उसके पुत्र शानू उर्फ जोनी त्यागी की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी है । इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 224/24 धारा 103(1)/61 बीएनएस पंजीकृत किया गया था एवं साक्ष्य संकलन व विवेचना की कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस, एसओजी व सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 224/24 धारा 103(1)/61 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए

01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही से आलाकत्ल एक चाकू व बैग बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

उज्ज्वल उर्फ बल्ले पुत्र मनोज निवासी ग्राम फतेहपुर पुड्डी थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- आलाकत्ल एक चाकू व बैग

नोट- श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये के नगद ईनाम से पुरस्कृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 22.08.2024 को मैं हरिद्वार से वापस अपने घर जाने के लिये बडौत सराय मोड़ पर खड़ा था तभी एक एक्सयूवी गाडी वाले ने मुझसे पिलाना जाने के लिये रास्ता पूछा तो मैंने उससे मुझे पिलाना सराय रोड़ पर उतार देने व आगे का रास्ता बता देने के लिए कहा। उसी बीच एक व्यक्ति और आ गया जिसने उसे गुराना गांव तक छोड़ देने के लिए कहा और उसे गुराना छोड़ दिया था। अभियुक्त ने गाडी चालक से झूठ बोलकर कि यह रास्ता पिलाना की तरफ जाता है उसे पुड्डी धनौरा को जाने वाली रोड़ पर ले गया और वहां से नगला पोईस की तरफ जाने वाले रास्ते पर स्थित ट्यूबवैल पर ले आया। उसने चाकू निकालकर मृतक की गर्दन पर रख दिया तथा उससे रुपये मांगे, मृतक ने रुपये देना का विरोध किया तो अभियुक्त ने उस पर चाकू से प्रहार कर उससे 4000 रुपये ले लिए और उन्हें लेकर ईंख के खेत की तरफ आ गया और चाकू बैग में रखकर वही छुपा दिया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-श्री शिवदत्त थानाध्यक्ष थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत मय टीम।
- 2-श्री राकेश शर्मा प्रभारी सर्विलांस सैल जनपद बागपत मय टीम।
- 3-श्री जितेन्द्र कुमार प्रभारी स्वाट टीम जनपद बागपत मय टीम।



प्रेस नोट

थाना बड़ौत

दिनांक 24.09.2024

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 588/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 ट्रॉली व घटना में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर महेन्द्रा नं0 WB-33B-2241 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.09.2024 को थाना बड़ौत पर वादी श्री राजीव कुमार पुत्र हरेन्द्र पाल सिंह निवासी दिलीप विहार कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसकी ट्रॉली को चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 588/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 588/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 ट्रॉली व घटना में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर महेन्द्रा नं0 WB-33B-2241 बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शिवम उर्फ भूरा पुत्र जगमाल निवासी छपरौली चुंगी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-नीशू पुत्र पवन निवासी छपरौली चुंगी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई 01 ट्रॉली।
- घटना में प्रयुक्त 01 ट्रैक्टर महेन्द्रा नं0 WB-33-B-2241

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बड़ौत।
- 2-उ0नि0 यूटी श्री नवनीत कुमार थाना बड़ौत।
- 3-है0का0 201 विशाल चौधरी थाना बड़ौत।
- 4-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बड़ौत।





प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 24.09.2024

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाना बड़ौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 635/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की गयी एक समरर्सिबल मोटर, केबिल व तार करीब 40 मीटर, 01 स्टार्टर, 01 टोटी व घटना में प्रयुक्त 01 प्लास, 01 पेचकश, 01 चाकू बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.09.2024 को थाना बड़ौत पर वादी जुल्फुकार पुत्र शय्यावत ग्राम जोला थाना बुढाना मुजफ्फरनगर ने लिखित तहरीर दी कि ग्राम खेड़ी प्रधान में उसके किराये के मकान से अज्ञात चोर द्वारा उसकी 01 समरर्सिबल की मोटर, स्टार्टर व तार चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में



थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 635/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाना बड़ौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 635/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की गयी एक सबमर्सिबल

मोटर, केबिल व तार करीब 40 मीटर, 01 स्टार्टर, 01 टोटी व घटना में प्रयुक्त 01 प्लास, 01 पेचकश, 01 चाकू बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 265/24 धारा 317(4) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-सागर पुत्र सत्यपाल निवासी खेडी प्रधान थाना बडौत जनपद बागपत।

2-मनीष पुत्र प्रवीन निवासी खेडी प्रधान थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की गयी एक सबमर्सिबल मोटर, केबिल व तार करीब 40 मीटर, 01 स्टार्टर, 01 टोटी।
- घटना में प्रयुक्त 01 प्लास, 01 पेचकश, 01 चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्याम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-उ0नि0 अमित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

3-है0का0 251 अजय कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

4-का0 सोनित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 24.09.2024

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 262/24 धारा191(2)/191(3)/109/115(2) /352/351(2) बीएनएस में वांछित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.09.2024 को थाना रमाला पर वादिया ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.रितिक पुत्र अशोक कुमार, 2.शिवांग पुत्र पप्पू निवासीगण ग्राम जिवाना



थाना रमाला जनपद बागपत, 3.पप्पू का रिश्तेदार व 02 अज्ञात द्वारा उसके पति सतीश के साथ एक राय होकर धारदार हथियारों से जान से मारने की नीयत से मारपीट की गयी व गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 262/24 धारा 191(2)/191(3)/109/115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 262/24 धारा 191(2)/191(3)/109/115(2)/352/351(2) बीएनएस में वांछित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-रितिक पुत्र अशोक निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-आरव पुत्र हरपाल सिंह निवासी गढी नौहाणाबाद थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3-रमन पुत्र धर्मेन्द्र निवासी गढी नौहाणाबाद थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 4-आशु पुत्र सूरजवीर निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 251 अजय कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 801 भूपेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-का0 19 सोनित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 24.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शोएब पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला आर्यनगर कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री आशीष कुमार चौधरी थाना बड़ौत ।
- 2-है०का० 65 महिपाल सिंह थाना बड़ौत ।
- 3-है०का० 154 मनीष कुमार थाना बड़ौत ।
- 4-का० 984 दीपक शर्मा थाना बड़ौत ।
- 5-का० 545 मनीष कुमार थाना बड़ौत ।





प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 24.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-सोनू उर्फ सुधीर पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-छोटा उर्फ अजय पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम शिकोहपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नवनीत कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री विकास कुमार चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-का0 463 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनाँक 24.09.2024

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

महिपाल पुत्र ताराचन्द निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनील शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-का0 940 अभिषेक शेखावत थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 24.09.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

रोबिन पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-है0का0 655 संजय कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।